	F(10)-25/2019, dated 2nd January, 2020, all functions provided under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.".	

Schedule V

[*See* section 17 (1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
1	2	3
EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated 30th January, 2018 [page No. 3244 to 3245 of the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh	In the said notification, in Table, against serial number 2, in column (3), for the figures "24", the figures "18" shall be substituted.	1st July, 2017

(RAJENDRA VISHAWANATH ARLEKAR)
Governor, Himachal Pradesh

(RAJEEV BHARDWAJ)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:
THE_____, 2022.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.–डी0(6)–21 / 2022–लेज.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को दिनांक 12–10–2022 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 4 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 25) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया (संशोधन) अध्यादेश, 2022 है।

2. **धारा 14 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 25) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 14 में–,

(क) उप–धारा(3) के खण्ड(ग) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

''परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन पुनः प्रवेश की मांग रखने वाले किराएदार को बेदखली याचिका दायर करने के छहः मास के भीतर पुनः प्रवेश की पारस्परिक निबंधनों और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन और ऐसे सन्निर्माण के लिए भू–स्वामी द्वारा नक्शा मंजूर करवाने हेतु ऐसे विकल्प का प्रयोग करना होगा और उस दशा में ऐसे विकल्प का प्रयोग करने के तीन मास के भीतर किराएदार इमारत या खाली किराये पर दी गई भूमि का कब्जा सौंप देगा और ऐसा सन्निर्माण दो वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।''

(ख) उप–धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः–

''(4–अ) यदि किराएदार को इस धारा के अधीन बेदखल किया जाता है और किराएदार ने इस धारा के अधीन किसी भी आधार पर पारित बेदखली के आदेश पर रोक लगाने के लिए अपीलीय न्यायालय में अपील की हो, तो अपीलीय न्यायालय ऐसे अधिभाग(प्रभार) लगा सकेगी जो पूर्व में संदत्त किए गए वास्तविक किराए के दूगुने से अधिक नहीं होगाः

परंतु जहां गैर–आवासीय इमारत में किराएदारी नियत दिवस से पूर्व हो, तो अधिभाग(प्रभार) को पूर्व में संदत्त किए गए वास्तविक किराए के तीन गुणा तक बढ़ाया जा सकेगा।''

(राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला
तारीखः.....2022

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 4 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH URBAN RENT CONTROL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 (Act No. 25 of 1987).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Urban Rent Control (Amendment) Ordinance, 2022.

2. Amendment of Section 14.—In Section 14 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987, (Act No. 25 of 1987) (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (3), in clause (c), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that tenant who demands re-entry under this clause has to exercise such option within six months of filing the eviction petition subject to the filing of mutual terms and conditions of the re-entry and sanction of map by the landlord for such construction and in that eventuality the tenant shall hand over the vacant possession of the building or rented land within three months of exercising such option and such construction shall be completed within 2 years."

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4-A)" If the tenant is evicted under this section and the tenant has approached the Appellate Court for stay of order of eviction passed on any of the grounds under this section, the appellate court may impose such occupation charges which shall not be more than double of the actual rent previously paid:

Provided that where the tenancy in non-residential building is prior to the appointed day, the occupation charges may be increased up to three times of the actual rent previously paid.

(RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR),
Governor, Himachal Pradesh.

(RAJEEV BHARDWAJ),
Principal Secretary(Law).

SHIMLA:
DATED……,2022

मैं हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

(राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

माननीय राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

(राजीव भारद्वाज),
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–9 / 2021–लेज.––भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 8) को दिनांक 31–08–2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

————————

2022 का अधिनियम संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021

(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2022 को यथा अनुमोदित)